



HEAD OFFICE
Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board
"Gauri Devi Prayavaran Bhawan"
46B, I.T. Park, Sahastradhara Road, Dehra Dun

UEPPCB/HO/ Gen-⁷⁶/Vol-II/ 3411-741,

Date 01.07.2019

To,

The Chairman,
Central Pollution Board,
(Ministry of Environment And Forests),
Government of India, 'Parivesh Bhawan', East Arjun Nagar
Delhi - 1100032

Sub:- Submission of Annual Report 2018-2019 on Plastic Waste Management Rules, 2016 reg.

Sir,

With reference to the above mentioned subject, the Annual Report for the year 2018-2019 on Plastic Waste Management Rules, 2016 is enclosed for your kind perusal please.

Enclosures: as above

Yours faithfully

(S.P. Subudhi)
Member Secretary

of Pm

STATE-WISE STATUS OF IMPLEMENTATION OF PLASTIC WASTE MANAGEMENT RULES, 2016, AS AMENDED 2018, FOR THE YEAR...

ANNUAL REPORT FORMAT

Name of the SPCB/ PCC	Estimated Plastic Waste generation. Tons per annum (TPA)	No. of registered Manufacturing/ Recycling (including multilayer, compostable) Units (Rule 9)			No. of unregistered Manufacturing or Recycling Units (in residential or unapproved areas.)	Details of Plastic Management (PWM) e.g. Collection, Segregation, Disposal (Co-processing, Road construction. Etc.) (Rules 6) (Attach separate)	Partial/compliance ban on usage of Plastic carry bags (through Executive Order) (Attach copy of notification or Executive Order)	Status of Marketing, Labeling on carry bags (Rule 8) {Specify No. of units not complied} Complied	Explicit Pricing of carry bags (Rule 10)	Details of the meeting of State Level Advisory Body (SLA) along with its recommendations on Implementation (Rule 11)	No. of violations & action taken on non-compliance of provision of these rules.	Number of Municipal Authority or Gram panchayat under jurisdiction and submission of Annual Report to CPCB (Rule 12)
		Plastic Units	Compostable Plastic Units	Multilayer Plastic Units								
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
U.E.PP .C.B. Dehra dun	31093 from ULBs	30 *	-	27	-	Attach Annexure-1	The copy of order dated 25-01-2017 enclosed Annexure -2	-	-	Regular meeting of SLBAB were held on 14-05-2018, 04-07-2018, 10-10-2018, 25-02-2019 & 13-06-2019	Board has issued Direction to all District Magistrate for compliance of PWM plan 2016 on dated 25-06-2019 (copy enclosed Annexure -3)	ULBs 90, village panchayat 7542

* Total waste recycling capacity 135259.44 MTA.

उत्तराखण्ड प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन कार्ययोजना

1. उत्तराखण्ड राज्य शहरी विकास विभाग तथा स्थानीय निकायों द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 तथा संशोधन 2018 के प्राविधानों के अनुसार विभिन्न कार्यवाहियां जैसे-ठोस अपशिष्ट से प्लास्टिक का पृथक्कीकरण, प्लास्टिक कॉम्पेक्टर्स का समुचित उपयोग, प्रतिबन्धित प्लास्टिक का उपयोग करने वाले व्यक्तियों/ व्यापारियों पर जुर्माना, ई0पी0आर0 के अन्तर्गत कार्यवाहियां प्रारम्भ किया जाना आदि की जा रही हैं।
2. पॉलीथीन का उपयोग प्रतिबन्धित होने के क्रम में उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर वर्तमान तक कुल रु0 110.53 लाख का जुर्माना आरोपित किया जा रहा है।
3. प्लास्टिक कॉम्पेक्टर का उपयोग कर प्लास्टिक रिसाइकिलिंग हेतु प्लास्टिक की बेल्स, रिसाइकिलिंग मटीरियल जैसे- गत्ता, पैकिंग मैटेरियल, रबर, अन्य प्लास्टिक आदि के विक्रय कर वर्तमान तक रु0 75.5 लाख की आय की जा चुकी है। वर्तमान में 25 स्थानीय निकायों में प्लास्टिक कॉम्पेक्टर स्थापित हैं, जिनके सफल उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में 21 अन्य स्थानों पर इन्हें स्थापित किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
4. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा Anti Littering and Anti Spitting Act, 2016 (संलग्नक- 1)। प्रख्यापित किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत उल्लंघन करने वालों पर निरन्तर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है, वर्तमान लगभग रु0 24.08 लाख जुर्माने के रूप में वसूले जा चुके हैं। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उल्लंघन करने पर रु0 200 से रु0 5000 तक का दण्ड तथा/ अथवा 6 माह की कैद का प्राविधान है।
5. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 12.03.2019 के प्रस्तर-2वी के क्रम में "उत्तराखण्ड प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन कार्ययोजना, 2019" तैयार कर ली गयी है

पह



पत्रांक सं०-यूईपीसीबी/एच.ओ/सा०-५५३/२०१९/२३३५-५३५

दिनांक :- २८/०६/२०१९

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून/टिहरी/पौड़ी/चमोली/
रूद्रप्रयाग/उत्तरकाशी/हरिद्वार/उधमसिंहनगर/
नैनीताल/चम्पावत/बागेश्वर/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।

विषय :- उत्तराखण्ड राज्य में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम, २०१६ के क्रम में Producers, Importer and Brand Owners की जिम्मेदारी निर्धारण करते हुये उनके उत्पादों के माध्यम से जनित प्लास्टिक वेस्ट का एकत्रिकरण एवं वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं, कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण देश में प्लास्टिक अपशिष्ट के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने हेतु प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम, २०१६ प्रख्यापित किया गया है।

उक्त नियम की धारा-२ (१) के अनुसार :-These rules shall apply to every waste generator, local body, Gram Panchayat, manufacturer, importers and producer. उक्त नियम की धारा-९ में Responsibility of Producers, Importer and Brand Owners के अन्तर्गत निम्न कार्यवाही किया जाना प्राविधानित किया गया है :

(1) The producers, within a period of six months from the date of publication of these rules, shall work out modalities for waste collection system based on Extended Producers Responsibility and involving State Urban Development Departments, either individually or collectively, through their own distribution channel or through the local body concerned.

(2) Primary responsibility for collection of used multi-layered plastic sachet or pouches or packaging is of Producers, Importers and Brand Owners who introduce the products in the market. They need to establish a system for collecting back the plastic waste generated due to their products. This plan of collection to be submitted to the State Pollution Control Boards while applying for Consent to Establish or Operate or Renewal. The Brand Owners whose consent has been renewed before the notification of these rules shall submit such plan within one year from the date of notification of these rules and implement with two years thereafter.

(4) The producer, within a period of three months from the date of final publication of these rules in the Official Gazette shall apply to the Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be, of the States or the Union Territories administration concerned, for grant of registration.

(5) No producer shall on and after the expiry of a period of Six Months from the date of final publication of these rules in the Official Gazette manufacture or use any plastic or multi-layered packaging from packaging of commodities without registration from the concerned State Pollution Control Board or the Pollution Control Committees.

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम, २०१६ के प्राविधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है, कि :-

1. वर्तमान में कोई भी Producers, Importer and Brand Owners द्वारा राज्य बोर्ड के समक्ष ऐसा कोई Plan of Action प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उनके उत्पाद द्वारा राज्य में कुल कितना प्लास्टिक वेस्ट जनित किया जा रहा है एवं नियमानुसार कितना प्लास्टिक वेस्ट किन-किन माध्यमों से एकत्रिकरण कर वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण किया जा रहा है।
2. Producers, Importer and Brand Owners द्वारा न तो राज्य बोर्ड से रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया गया है, न ही रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिये नियमानुसार आवेदन किया गया है। बोर्ड से रजिस्ट्रेशन प्राप्त किये बिना राज्य में उत्पादों के माध्यम से प्लास्टिक वेस्ट जनित किया जाना एवं उनका एकत्रिकरण कर निस्तारण न किया जाना नियम विरुद्ध है।

प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्ट की धारा-12 में यह प्रावधान किया गया है, कि Prescribed authority – (1) The State Pollution Control Board and Pollution Control Committee in respect of a Union territory shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to registration, manufacture of plastic products and multi-layered packaging, processing and disposal of plastic wastes.

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य में स्थित एवं कारोबार कर रहे समस्त Producers, Importer and Brand Owners से प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्ट नियम, 2016 की धारा-9 में प्राविधानित नियमों के आधार पर कार्यवाही नहीं करने के कारण नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है।

आपसे अनुरोध है, कि अपने-अपने जनपद में स्थित एवं कारोबार कर रहे समस्त Producers, Importer and Brand Owners से प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्ट नियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। नियमानुसार कार्यवाही नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सन्दर्भित करने का कष्ट करें।

भवदीय
(आनन्द बर्द्न) आई.एस.
अध्यक्ष

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल, उत्तराखण्ड।
2. सदस्य सचिव, यू०ई०पी०पी०सी०बी०, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि समस्त जिलाधिकारियों से समन्वय कर प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्ट नियम, 2016 का अनुपालन राज्य में कराया जाना सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष 24/06/19

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड